

क्र.सू.५१

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)

निर्माण भवन, साठवाँ मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 103



D-396
23/8/13

101

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nisimhan Bherwan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 103

Ph:EPABX - 23062800, 23063802 23063803 FAX - (01-11) 23062215, 23061726, 23061068, e-mail - ccmsmahq@nb.nic.in

No. 5(3)/2013-MSME Pol.

Date: 25.7.2013

Subject: Substitution of the term 'Micro Enterprises' in place of term 'Tiny enterprises/industries/units' in the documents -req.

Prior to the implementation of the MSMED Act 2006 w.e.f. 02 October 2006, the "Tiny enterprises/ industries/ units" were defined as the enterprises/ industries/units having investment in 'plant and machinery' up to Rs.25 lakhs. However, after the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 and in accordance with Notification No.S.O.1642 (E) dated 29.9.2006 (available at this office web-site www.dcmsme.gov.in) issued in pursuance to sub-section (1) of section 7 of MSMED Act, 2006, the enterprises (both manufacturing and service) were classified in to three categories i.e. Micro, Small and Medium based on the investment in 'plant and machinery' and 'equipments' respectively. The enterprises having investment in 'plant and machinery' up to Rs.25 lakhs and investment in "equipments" up to Rs.10 lakhs have been defined as "micro enterprises" in manufacturing and service sector respectively under MSMED Act 2006.

2. It is requested to substitute the term "micro enterprise" in place of "Tiny enterprises/industries/units" in the statutes/rules/notifications/guidelines/instructions etc. and in all other documents concerned.

3. Action taken in this regard may kindly be communicated to this office for record.

(P.K. Sinha)
Director (MSME Pol.)

To

As per mailing list.

Copy for information to:

M/s Bharat Gasket Industries, 1 Patel Mansion, Proctor Road, Grant Road,
Mumbai-400 007.

(P.K. Sinha)

कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक : एफ.15(1)आयु.उ./ईएम. अनु / ई.एम.-मार्गदर्शन/2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

दिनांक : 3.9.2013

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
3. समस्त फंक्शनल अधिकारी (मु.)।
4. रक्षित पत्रावली (ई.एम.)

(अविन्द्र लढढा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग

विकास आयोग का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)

निर्मल भवन, सावर्धी मंडल, भीलवा आन्ध्र रोड,
नई दिल्ली-110 109



MSME
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MSME, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Anand Road,
New Delhi - 110 109

Tel: 011-23063800, 23063802, 23063903 FAX: 011-1 / 23062215, 23061729, 23061068, e-mail: coms@msme.gov.in

सं 5(3)/2013-एमएसएमई नीति

दिनांक: 25.7.2013

विषय:- दस्तावेज में "अति लघु (Tiny) उद्यमों/उद्योगों/इकाइयों" के स्थान पर "सूक्ष्म उद्यमों" शब्द का प्रयोग

2 अक्टूबर 2006 से एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के लागू होने से पहले, संयंत्र तथा मशीनरी में 25 लाख रुपये तक के निवेश वाले उद्यम/उद्योग/इकाई को अति लघु (Tiny) उद्यम/उद्योग/इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता था। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के बाद और एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 7 के उप-खंड (1) के अन्वय में जारी दिनांक 29.9.2006 की अधिसूचना सं एस.ओ.1642 (ई) द्वारा कार्यालय की वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध के अनुसार, क्रमशः "संयंत्र व मशीनरी" और "उपस्करों" में निवेश के आधार पर उद्यमों (विनिर्माण और सेवा) दोनों प्रकार के दो क्षेत्रों में अति लघु उद्यमों, अर्थात्, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रमशः विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में "संयंत्र व मशीनरी" में 25 लाख रुपये तक के निवेश और "उपस्करों" में 10 लाख रुपये तक के निवेश वाले उद्यमों को "सूक्ष्म उद्यम" के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है कि अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं/ दिशानिर्देशों/निर्देशों एवं अन्य सभी संबंधित दस्तावेज में "अति लघु (Tiny) उद्यमों/उद्योगों/इकाइयों" के स्थान पर "सूक्ष्म (Micro) उद्यम" शब्द का प्रयोग करने का कष्ट करें।

3. कृपया रिकार्ड हेतु, इस संवध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को, अवगत कराएं।

(पी.के.सिन्हा)

निदेशक (एमएसएमई नीति)

सेवा में,

डाक प्रेषण सूची के अनुसार

सूचनार्थ प्रति:

मैसर्स भारत गार्स्केट इंडस्ट्रीज, 1 पटेल मैनशन, प्रोक्टर रोड गांट रोड, मुंबई-400007

(पी.के.सिन्हा)

निदेशक (एमएसएमई नीति)